समाहरणालय बेगूसराय
(जिला स्थापना शाखा)

<u>आदेश</u>

श्री सत्येन्द्र कुमार वात्सायन, तत्कालीन उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड तेघड़ा द्वारा प्रखंड नजारत में संधारित रोकड़ पंजी में दिनांक 31/03/2013 से अद्यतन आय–व्यय की प्रविष्टि रोकड़ पंजी में संधारित नहीं करने के कारण स्थानांतरित एवं पदस्थापित पदाधिकारी का वित्तीय प्रभार का आदान–प्रदान नहीं होने के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा ने अपने **पत्रांक 1039 दिनांक–19.07.2014** के द्वारा श्री वात्सायन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु साक्ष्य सहित **प्रपत्र "क"** समर्पित किया गया। उक्त **प्रपत्र "क"** के आलोक में **आदेश ज्ञापांक–1328/स्था0 19.09.2014** द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार वात्सायन, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड तेघड़ा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच बेगूसराय को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, तेघड़ा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच बेगूसराय ने अपने **पत्रांक–224/रा0, दिनांक–28.01.2020** द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार वात्सायन, उच्च वर्गीय लिपिक तेघड़ा प्रखंड के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अभिलेख सहित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में **पत्रांक–479/स्था0 दिनांक 05.05.2020** द्वारा श्री वात्सायन से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में श्री सत्येन्द्र कुमार वात्सायन, उच्च वर्गीय लिपिक, बेगूसराय सदर प्रखंड सह तत्कालीन प्रखंड नाजिर तेघड़ा के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जबाब में दिनांक–01.07.2020 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार वात्सायन, तत्कालीन प्रखंड नाजीर तेघड़ा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही वाद सं0 48/2014 की प्रक्रिया पूर्ण कर अभिलेख सहित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सत्येन्द्र कुमार वात्सायन, तत्कालीन प्रखंड नाजिर तेघड़ा द्वारा न तो रोकड़ पंजी को अद्यतन किया गया और न ही विधिवत् रोकड़ पंजी का प्रभार दिया गया है। श्री वात्सायन के स्वेच्छाचारिता एवं मनमाने ढंग से कार्य करने के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वित्तीय प्रभार का आदान–प्रदान नहीं हो सका है, जो आरोप प्रमाणित होता है।

आरोपी कर्मी श्री सत्येन्द्र कुमार वात्सायन, उच्च वर्गीय लिपिक, बेगूसराय सदर प्रखंड–सह–तत्कालीन प्रखंड नाजिर तेघड़ा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब दिनांक 01.07.2020 में स्वीकार किया गया है, कि कार्य की अज्ञानता, अनुभवहीनता तथा दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं किया गया। साथ ही श्री वात्सायन द्वारा 02–03 माह के लिए तेघड़ा प्रखंड में रोकड़ पंजी संधारण हेतु प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध भी किया गया है।

संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री वात्सायन द्वारा दिनांक–01.07.2020 को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाब में प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आरोपी कर्मी सत्येन्द्र कुमार वात्सायन तत्कालीन प्रखंड नाजिर, तेघड़ा द्वारा न तो रोकड़ पंजी को अद्यतन किया गया और विधिवत् रोकड़ पंजी का प्रभार भी नहीं दिया गया है। आरोप स्वतः प्रमाणित होता है, जो वृहत दंड की श्रेणी में है।

श्री सत्येन्द्र कुमार वात्सायन उ0वि0लि0 बेगूसराय सदर प्रखंड–सह–तत्कालीन प्रखंड नाजिर तेघड़ा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 एवं यथा संशोधित 2007 के नियम **14(VI)** के अधीन **संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि** पर रोक दंड अधिरोपित किया जाता है। श्री वात्सायन के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही निष्पादित किया जाता है। उक्त दंड की प्रविष्टि संबंधित कर्मी के सेवापुस्त में भी दर्ज की जाय। साथ ही इन्हें पन्द्रह दिनों के लिए रोकड़ पंजी को अद्यतन करने एवं प्रभार सौंपने हेतु प्रखंड कार्यालय तेघड़ा में प्रतिनियुक्त करें।

यह आदेश पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/–

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

ज्ञापांक 1070 **/स्था0, दिनांक** 10/12/2020

प्रतिलिपि : श्री सत्येन्द्र कुमार वात्सायन, उच्च वर्गीय लिपिक, बेगूसराय सदर प्रखंड–सह–तत्कालीन प्रखंड नाजिर तेघड़ा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय एवं तेघड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय एवं तेघड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय एवं उप कोषागार पदाधिकारी, ~~(बेगूसराय)~~ तेघड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय को उनके **पत्रांक 224/रा0 दिनांक 28.01.2020** के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सुचना विज्ञान पदाधिकारी, बेगूसराय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

10/12/20

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

D:\G.K_03.11.2016\General\order-1.docx